

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल,

क्रमांक 41 अ-82/16-17/भू-अर्जन / 13610  
प्रति,

बैतूल दिनांक 19-12-2017

संचालक,  
जनसम्पर्क संचालनालय,  
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,  
भोपाल (म0प्र0) ।

विषय :- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण की रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत ।

-0-

विषयान्तर्गत म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के तहत ग्राम टीकाबरी तहसील आमला जिला बैतूल के 41 कृषको की 4.113 हे0 भूमि सेल्टिया जलाशय हेतु अर्जन के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है ।

अतएव संलग्न सामाजिक समाघात रिपोर्ट दिनांक 2.11.2017 का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशन की प्रतियां कृपया इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

( शशांक मिश्र )  
कलेक्टर,  
बैतूल

पृ0क0 41 अ-82/16-17/भू-अर्जन / 13610  
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 19-12-2017

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति वापस भेजना सुनिश्चित करें।
- 2- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं एक प्रति वापस भेजना सुनिश्चित करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन छिन्दवाड़ा (म0प्र0) को अग्रेषित उक्त प्रकाशन की प्रतियां प्राप्त करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 4- तहसीलदार आमला की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा कराई जाकर वापस भेजना सुनिश्चित करें।
- 5- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कलेक्टर,  
बैतूल

प्ररूप "ख"

(नियम -5 देखिए)

**सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट**

- (1) परियोजना विकास का नाम :- कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा
- (2) लोक प्रयोजन :- सेल्टिया जलाशय
- (3) स्थल :- टीकाबरी
- (4) परियोजना का क्षेत्र :- 4.113 हे.
- (5) विकल्प जिन पर विचार किया गया :- हां
- (6) परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता  
की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :- हां
- (7) परियोजना निर्माण के चरण :- प्रथम चरण
- (8) परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे:- रकबा 4.113 हे.
- (9) परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि:- 4.113 हे.
- (10) भूमि का मूल्य :- 568000 / - प्रतिहे.(सिंचित)  
:- 284000 / - प्रति हे.(असिंचित)

(11) प्रभावित परिवारों की संख्या

(अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार)

(12) परिसंतितियां-

लोक सम्पत्ति- भूमि निरंक भवन निरंक अन्य

निजी सम्पत्ति- भूमि 4.113 हे. भवन निरंक अन्य

(13) विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या

जिनकी भूमि अर्जित हुई-

ग्राम:- टीकाबरी परिवारों की संख्या:- 41

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग
0	0	0	0

जिनके मकान अर्जित हुए-

ग्राम:- टीकाबरी

परिवारों की संख्या:- 0

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग
0	0	0	0

(14) सामाजिक समाघात

(क) समाघातों का विवरण:- निरंक।

(ख) समाघातों की संकेतक सूची:- निरंक।


(15) विकल्प जिन पर विचार किया गया:-

(क) यदि हां- तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?:- सेल्टिया जलाशय

(ख) यदि नहीं- तो क्यों ? :- निरंक।


(16) निष्कर्ष:-


- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पतियां प्रभावित हो रही है उनका विधिनुसार मुआवजा दिया जा रहा है।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।

  
 अनुविभागीय अधिकारी (रा)  
 मुलताई (अध्यक्ष)



श्री मुरारी अग्रवाल  
 व्यवसायिक प्रतिष्ठित एवं शिक्षित  
 व्यक्ति (सदस्य)

  
 उपवन मंडलाधिकारी  
 मुलताई (सदस्य)

  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग  
 आमला (सदस्य)